

दिनांक-17.02.2026 को अपर मुख्य सचिव, गन्ना उद्योग विभाग की अध्यक्षता में बिहार राज्य चीनी निगम, इकाई-समस्तीपुर पर औद्योगिक स्थापना से संबंधित बैठक की कार्यवाही।

समय :- 11:30 बजे पूर्वाह्न।

उपस्थिति :- संलग्न।

अपर मुख्य सचिव, गन्ना उद्योग विभाग की अध्यक्षता में बैठक प्रारम्भ हुई।

बैठक में विनसम इन्टरनेशनल प्रबंधन द्वारा बताया गया कि अबुल कलाम आजाद एवं अन्य के द्वारा समस्तीपुर चीनी मिल के कुछ भूमि को अपना पैतृक भूमि बताते हुए BLT Case No. 396/2021 अबुल कलाम अजाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य वाद दायर किया गया है। दिनांक-25.11.2022 को पारित आदेश में मामलें को खारिज कर दिया गया। अबुल कलाम आजाद एवं अन्य के द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय, समस्तीपुर में Title Suit No. 36/2024 दायर किया गया है। वर्तमान में मामले की सुनवाई जिला सत्र न्यायालय, समस्तीपुर में दिनांक-26.03.2026 को निर्धारित है।

अपर मुख्य सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के द्वारा जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर से वाद से संबंधित आवश्यक कागजात उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया हैं। ईखायुक्त इस मामले को निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

ह०/-

(के. संधिल कुमार)

अपर मुख्य सचिव,  
गन्ना उद्योग विभाग।

ज्ञापांक-02/रेगु०-2-900-04/2026-

/पटना, दिनांक- फरवरी, 2026

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक/संयुक्त ईखायुक्त/सहायक ईखायुक्त (मु०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अरूण कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-02/रेगु०-2-900-03/2026-

/पटना, दिनांक- फरवरी, 2026

प्रतिलिपि-प्रबन्ध निदेशक, प्रिस्टाइन मगध इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि०, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-02/रेगु०-2-900-03/2026- 456

/पटना, दिनांक- 25 फरवरी, 2026

प्रतिलिपि-आई. टी. प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।